Seventeenth Loksabha

an>

Ttile: Regarding crimes against women in Odisha.

श्रीमती अपराजिता सारंगी (भुवनेश्वर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ओडिशा राज्य में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मैं एक महिला हूं। ओडिशा राज्य मेरी कर्मभूमि है। इसलिए, मैं बहुत उद्विग्न हूं और परेशान हूं। ओडिशा राज्य की जनंसख्या साढ़े चार करोड़ के आस-पास है। इसमें आधा हिस्सा महिलाएं हैं। मैं आज आपके समक्ष इस आधे हिस्से की सुरक्षा और उनकी मर्यादा की रक्षा के विषय में बात करना चाहती हूं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का वर्ष 2018 का रिपोर्ट हस्तगत हुआ है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में ओडिशा राज्य देश में तृतीय स्थान पर खड़ा है। प्रत्येक एक लाख लोक संख्या में करीबन 91.3 अपराध महिलाओं के प्रति ओडिशा राज्य में हो रहे हैं। यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह तथ्य एनसीआरबी की रिपोर्ट से मिला है। ...(व्यवधान) For every one lakh population, one has to remember that there are 91.3 numbers of crimes in Odisha. इसके अलावा एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगी कि अपराध दंड की दर बहुत कम है। यह 8.3 है। ...(व्यवधान) मैं तथ्य के आधार पर बात कर रही हूं। मैं तथ्यविदित ऑर्गुमेंट कर रही हूं। ओडिशा में कनविक्शन रेट डिस्मल 88.3 परसेंट है। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि जो बैलेंस ऑफ केसेज हैं, जिन केसेज की पेंडेंसी हैं, वे ओडिशा में 94.7 परसेंट है। दूसरे राज्यों से बहुत ज्यादा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा में जो वूमेन शेल्टर होम्स हैं, वहां पर लगातार महिलाओं के प्रति अपराध की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजह से देश में ओडिशा राज्य तृतीय स्थान पर है, यह एनसीआरबी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। कुछ दिन पहले मलकानगिरी जिले में एक आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, बीरमित्रपुर में एक छोटी बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ। राज्य सरकार की तरफ से जिस प्रकार के कठोर कदम उठाए जाने चाहिए थे, वे नहीं उठाए गए। स्थिति बहुत गंभीर है, चिंताजनक है और दु:खदायक है। ...(व्यवधान) मैं एक महिला हूं, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय से अनुरोध करूंगी कि वे राज्य सरकार से बातचीत करें और एक प्लान ऑफ ऐक्शन लें, जिसमें स्पेसिफिक टाइम लाइन्स हो। महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, वे कम होने चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष :

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल और

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।